

म. प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल के कुलपति पद
पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करने के लिए
सूचना


वि.क्र. एफ-1-4/16/रा.स./यू.ए.1/ 1430

दिनांक 28 दिसम्बर, 2016

म. प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.), जो कि म. प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 (क्र. 20 सन् 1991) के अंतर्गत स्थापित है, के कुलपति की नियुक्ति उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) सहपठित परिनियम 01-ए की कंडिका 02 के तहत गठित समिति द्वारा अनुशंसित पैनल में से कुलाधिपतिजी के द्वारा की जाना प्रस्तावित है। कुलपति का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की दिनांक से 04 वर्ष होगा।

चूंकि कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यकारी एवं शैक्षणिक अधिकारी है अतः उसे प्रख्यात शिक्षाविद होने के साथ-साथ ठोस प्रशासनिक अनुभव भी होना चाहिए। उसका जन्म दिनांक 01 अप्रैल, 1957 या उसके बाद हुआ हो एवं वह निष्ठावान, कल्पनाशील एवं दूरदर्शी होना चाहिए जिससे कि वह विश्वविद्यालय को शैक्षणिक उत्कृष्टता की ऊँचाईयों की ओर ले जा सके।

कुलपति पद पर नियुक्ति के लिए इच्छुक अभ्यर्थी उनका आवेदन तथा विस्तृत जीवन-वृत्त 2 प्रतियों में राजभवन की वेबसाइट "www.rajbhavanmp.in" पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में, नियोजका के प्रमाण-पत्र कि आवेदक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच लंबित नहीं है ; एवं आवेदक के स्व-सत्यापित प्रमाण-पत्र कि उसके विरुद्ध कोई जांच लोकायुक्त, आर्थिक अपराध ब्यूरो, अन्य संस्थानों में प्रचलित/लंबित नहीं है एवं किसी भी स्तर पर अपराधिक प्रकरण भी संस्थित / प्रचलित नहीं है के सहित प्रमुख सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, भोपाल - 462003 (म.प्र.) को दिनांक 18 जनवरी, 2017 तक प्रस्तुत करें। उपरोक्त जांच एजेंसियों द्वारा पूर्व के वर्षों में यदि कोई जांच की गई हो तो उन जांच प्रकरणों के विवरण एवं निष्कर्षों का भी आवेदक स्व-सत्यापित प्रमाण-पत्र में स्पष्ट उल्लेख करें। निर्धारित तिथि 18 जनवरी, 2017 के बाद इस कार्यालय में प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।


राज्यपाल के प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश

राज भवन, भोपाल
RAJ BHAVAN, BHOPAL

**NOTICE INVITING APPLICATIONS FOR APPOINTMENT OF
VICE CHANCELLOR FOR FOR MADHYA PRADESH
BHOJ (OPEN) UNIVERSITY, BHOPAL (M.P.)**


Advt. No. F 1-4/16/G.S./U.A.1/1430

Dated 08 December, 2016

It is proposed to appoint a Vice-Chancellor for the Madhya Pradesh Bhoj (Open) University, Bhopal, established under the Madhya Pradesh Bhoj (Open) University Adhiniyam, 1991 (No. 20 of 1991) out of a panel to be recommended by a Committee, constituted in terms of section 9(1) of above mentioned Act read with para 2 of Statute 1A of the university. The Vice Chancellor shall hold office for a term of four years from the date on which he enters office.

As the Vice Chancellor shall be the Principal Executive and Academic Officer of the University, he/she is required to have sound administrative acumen besides being an eminent academician. He/She must have been born on or after 01st April, 1957, and be a person with integrity, vision and foresight to lead the University to heights of academic excellence.

Those interested in applying for the post of Vice Chancellor may send their applications along with detailed bio-data in two copies in the prescribed format available on our website "www.rajbhavanmp.in", a certificate from the employer that no departmental enquiry is pending against applicant ; and a self attested certificate of the applicant confirming that no enquiry is pending in Lokayukt Sangathan, Economic Offence Bureau, any other organisation and also no criminal case is registered/pending at any stage to Principal Secretary, Governor's Secretariat, Raj Bhavan, Bhopal - 462003 (M.P.), on or before 18th January, 2017. Details of the cases and final conclusion of the investigation agency, in case of any enquiry conducted by above investigation agencies in earlier years, should also be given by applicants in the self attested certificate. Any application received at this Office after 18th January, 2017 shall not be taken into consideration.


Principal Secretary to Governor
Madhya Pradesh